मैसर्स महोदव माइनिंग एन्टरप्राइजेज, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 08.11.2024 दोपहरः 01.00 PM बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम– शिशवी, तहसील–कुराबड़ (गिर्वा), जिला–उदयपुर

मैं. गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर उपस्थित श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, वल्लभनगर, उदयपुर का स्वागत करते हुये मैसर्स महादेव माइनिंग एन्टरप्राइजेज द्वारा प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार खनन परियोजना (एम.एल.न. 52/2023 (लीज क्षेत्र 3.8794 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 62.4381 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 2923147 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 375397 TPA निकट ग्राम–सेजलाई, तहसील–गिर्वा (कुराबड़), जिला–उदयपुर की जनसुनवाई के कार्यक्रम का प्रारंभ करता हुँ।

इस परियोजना हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आप सभी उपस्थित जन समूह का स्वागत करता हूँ।

जैसा कि विदित है कि उक्त परियोजना हेतु जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 09.10.2024 एवं जय राजस्थान में दिनांक 09.10.2024 को प्रकाशित करवा आज दिनांक 08.11.2024 तक इस परियोजना की जन सुनवाई आयोजित करने एवं साथ ही आम जन से सुझाव एवं आक्षेप मांगे गये थे।

इसी क्रम में आप उपस्थित जन समूह से सादर निवेदन है कि आपके समक्ष अभी इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार M/s P and M Solution के प्रतिनिधि पूरी परियोजना का विस्तृत विवरण एवं जानकारी Power Point Presentation के माध्यम से प्रस्तुत करेगे। आप सभी ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुने एवं समझे एवं प्रस्तुतीकरण पूरा होने के पश्चात् उपस्थित जन समूह में से किसी को भी कोई सुझाव/शिकायत/आक्षेप हो तो कृपया अपना नाम पता सहित जानकारी देते हुये मौखिक एवं लिखित अभ्यावेदन के द्वारा प्रस्तुत करे ताकि उचित कार्यवाही हेतु इसे समक्ष स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

अब मैं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय की आज्ञा से इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार M/s P and M Solution के प्रतिनिधि से निवेदन करूगां कि आप इस परियोजना की विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समूह को प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के सम्बन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब"के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम-सेजलाई :-

मेरा यह कहना है की माईन्सों की वजह से हमारे गांव का कोई विकास नही हो रहा है जो भी आपने इस स्क्रीन पर बताया है ना इतना फायदा हुआ है या होगा भविष्य में ऐसा कुछ नही होगा सर और यह जो इन्होने बताया कि इतने लोगो को व्यवसाय दिया है। वहां पे काम पर रखा है माईन्सों में तो ऐसा नही है सर यह सब झूठी बाते है तो ना कोई गांव का विकास हुआ है ना कोई पेड पौधे लगे है ना इनसे पहले कोई लगे थे और ना इसके बाद लगेगे हमे इतना पता है। तो हम इसी गांव मे रहते है आए दिन इन ब्लास्टिंग की आवाजे सुनते है घरो में बर्तन बजते है। और हम चुपचाप बैठे बैठे देखते है अरे यार क्या करे कुछ करेगे या ना करेगे कुछ करेगे। जैसे की हमे यू लगता है कि गर्वमेन्ट ने हमारे उपर दबाव बना कर रखा हुआ है। यहा से गांव छोडकर भाग जाओ। क्योकि गर्वमेन्ट को तो इनसे फायदा ही है। जो माईन्स की लीज करवा रहे है एनओसी जारी कर रहे है। इनसे तो फायदा ही है हमे कोई फायदा नही हो रहा है। यह तो ऐसा हुआ है कि मां के सीने में लात मार रहे है। ऐसा हो गया है यह भूमि हमारी मां है और हमारे बाप दादाओ ने इसी भूमि पर जन्म लिया है और वो चले भी गए। उनको कुछ नही मिला है। तो इसी तरह सर जो लीज के लिए जो आवेदन कर रहे है। मेरा यह कहना मेरा यह मानना है और पूरे गांववासी का मानना है कि यह लीज रद्द की जाए। और न इनको कोई एनओसी दी जाए। हमे इससे फायदा क्या हुआ है। कुछ फायदा नही हुआ है। गांव में पीने के पानी की समस्या हो गई है आए दिन बिमारिया हो रही है। डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर बोलता है मलेरिया है यह है वो है। आपको यह चिकन गुनिया हो गया है। आपको इसकी यह थकान हो गयी है। आपने कोरोना वेकसीन के टिके लगाए इसीलिए आपका शरीर काम नी कर रहा है। यह सब वो वेकसीन की तरफ से नही है। यह यहा के जो वातावरण की तरफ से है। माईन्स में पावरफुल ब्लास्टिंग की वजह से घरो की दीवारे गम्भीर तरह से घायल हो गई है। जैसे की हमे यू लगता है हमें ही मार रहे है। जैसे की दीवाली का पटाखा फोडते है जैसे आदमी पास में होता है या तो कान बजते है। या हाथ बजते है उसी तरह यह जो हमारी जो मकान बने हुए है। हमारे घर बने हुए है वो सब दिवारे वो खिसक रही है। अब किसी से हम चर्चा करते है तो उनका कहना है की मकान बैठक ले रहा है बैठक पांच साल के बाद ही यह जब से इन लोगो ने माईन्स का इन लोगो ने चालू किया है। उसके बाद ही

उपखण्ड अधिकारी
बल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

बैठक ले रहा है उससे पहले कभी बैठक नही लिया था। उससे पहले सही था वो मकान क्योंकि जब से यह माईन्स से हमे फायदा होने लगा है यह इतना इनका पैसा आने लगा है गांव में सब कुछ अच्छा हुआ है इसीलिए हो रहा है। हो सकता है हमने फोकट के पैसे खा लिए है। एक–एक रूपया इकटठा करके मकान बनता है। जब मै पैदा हुआ था ना तो सर तब घर में एक ही कमरा था। और हम तीन भाई बहन उसी कमरे में बडे हुए उसके बाद धीरे धीरे समय बदलाता गया तो पिताजी ने एक मकान बनाया उसमे चार कमरे बनवाए। चार कमरे बनाए एक–एक दोनो भाई के एक माता पिता के लिए एक छोटी सी किचन बनाई। और एक कमरा रखा है जो कोई भी मेहमान आता उनके लिए। सर उस घर की हालात इतनी खराब हो गई है अगर आपको समय मिले तो आप मेरा साथ चलिए सर अगर मै झुठ बोल रहा हू तो उस घर की हालात खराब हो गई। दीवारे सब दरारे आ गई। बारिश की दिनों में पानी पडता है तेज बारिश आती है तो भी पानी आता है हल्कि बारिश में भी पानी आता है। यह सब माईन्स की ब्लास्टिंग की वजह से और यह इनके जो मन चाहे जितना जोर से ब्लास्ट कर रहे है। इनकी कोई सीमा होगी कि ऐसा नही करना चाहिए। आज मै पर्टीकुलर किसी आदमी को गाली दे देता हूँ तो मै कानून का उल्लंघन कर रहा हू ना सर। में किसी गर्वमेन्ट कर्मचारी को अगर कुछ बोल देता हूँ या मेरी जबान से ओची बात बोलता हू तो वो तो एक राजकारी बाधा वाला काम हो गया ना मेरे उपर तो मुकदमा उस हिसाब से ही होगा। तो इन लोगो ने क्या है ऐसी ऐसी ब्लास्टिंग कर रखी है। इसकी कोई सीमा नही है और पानी की आवक खत्म हो गई है। कुए का जो लेवल था वो बिल्कुल डाउन हो गया। ना उससे कोई फायदा मिल रहा है। कुछ नही मेरे दादाजी का कहना है कि उस कुए में और ब्लास्टिंग करके थोडा उस कुए को और खोदेगे।अरे खोदेगे क्या उससे तो नीची माईन्से चली गई है पानी कहा से आएगा तो इसलिए क्या है हमें इन माईन्सों से कोई फायदा नही है ना किसी इंसान को फायदा है ना हमारी पूरी पंचायत को फायदा है यह अगर फायदा है तो इन बडे–बडे लोगो का फायदा है बस। जो पैसा फेकते है और यह लीज करवाते है पंचायत से एनओसी लेते है। और इनका काम चालू कर देते है। इनका काम बनता है भाड में जाए जनता। उनको कोई लेना देना नही इस बात से इनको पैसा चाहिए बस। सर गांव की जो चारागाह भूमि है। उसमें मवेशी के लिए पीने का पानी भी दूषित हो रहा है। माईन्स के पास में इनकी माईन्स में इतना पानी है भरा हुआ तो यह क्या है कि वो जो जनरेटर होते है ना मोटर जनरेटर लगा लगा के वो पानी बहार नालो में बहाते है। वो पानी शिशवी गांव में आता है इधर जो आसपास में जो खेत है। उनमें आता है। वो खेत की फसल खराब होती है। भले ही उस खेत में फसल नही होतो तो भी उसको अगर टैक्टर से जोतते है। कोई फसल बोते है। तो वो फसल खत्म हो जाती है। कोई फायदा नही मिल रहा है। मवेशी परेशान हो रहे है उनको भी पीने का पानी नही मिल रहा है यह समस्या का हल एक पर्टिकुलर इंसान को नही हो रहा है जानवरो को भी हो रहा है यह इनकी इतनी ब्लास्टिंग की वजह से गांव में पैंथर आने लग गए। यह जो ब्लास्टिंग करते है ना पैंथर कहा जाएगे। वन्यजीव के लिए अपन खुद सुरक्षा नही कर सकते। अपनी सुरक्षा कर रहे है। और वन्यजीव को धकेल रहे है आगे से आगे वो कहा जाएगा। जंगल तो आप लोगो

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

ने कब्जे कर लिए है पूरा और वो जा रहे सब गांव की और। तो मेरा यह कहना है सर इस माईन्स की लीज रद्द कर दी जाए। और कोई लीज नहीं दी जाए उनको और यह भविष्य में जो चल रही है। इन माईन्सों को भी बंद किया जाए और इनमें ब्लास्टिंग बहुत नोर्मल वाली की जाए। ताकि इनका काम बन जाए हमें परेशानी नही आनी चाहिए। हम बार बार सर हर सालाना पैसा नही लगा सकते। दौ सौ तीन सौ चार सौ रूपये या लास्ट हाईऐस्ट पांच सौ रूपये दिन की मजदूरी करने वाले लोग है हम यहा से चालिस किलोमीटर दूर जाते है। यह बोलते है कि हमें यह व्यवसाय दे रखा है। किसको व्यवसाय दे रखा है इतने लोग बैठे हुए है। इनमें से बता दो। कि किस आदमी को इन्होने माईन्स के उपर काम करने के लिए बोला। कोई भी आदमी नही है जो माईन्स पर काम करता है इन्होने सब बाहर से ला रखे है। बाहर से ला लाके इनसे काम खीचवा रहे है। और काम कर रहे है किसी को पर्टीकुलर कोई फायदा नही है।

श्री हिम्मत सिंह ग्राम–शिशवी:–

माईन्स से पर्यावरण बड़ता है या घटता है?

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

देखिए जनसुनवाई के लिए मैने पहले कहा था आप पहले एक बार अपना नाम बताए। हिम्मत सिंह जी आप जो भी आज मैं यहा पर आपके सिर्फ आपके सुझावों को जो भी आपकी शिकायत है जो भी आक्षेप है उनको सक्षम स्तर पर प्रेषित करने के लिए उसके लिए एसडीएम साहब और मतलब पूरी जनसुनवाई का आयोजन किया गया है आपको जो भी सुझाव देने है उनको हम सक्षम स्तर पर प्रेषित करेगे। मै यह आपसे सवाल जवाब के लिए उपस्थित नही हुआ हूँ। आज आप जो भी सुझाव है कह दे उसको सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जाएगा।

श्री भगवत सिंह सांरगदेवोत ग्राम–सेजलाई :–

सर यह ब्लास्टिंग करने से पानी तो क्या है यह जो ब्लास्टिंग की जो गैस होती है पता नही सर आसपास के कुओ में जाती है। वो फिर मवेशी भी पीते है। हम भी पीते है तो बहुत सारी बिमारिया भी आती है हम चाहते है गांववासी यह जो माईन्स है आगे से जितनी भी माईन्स है, लीजे हो रही है। आगे से लीजे हम नही करना चाहते है और जो माईन्से चल रही है उनको भी बोल दे कि भाई आप या तो ब्लास्टिंग बंद करो या फिर माईन्स बंद करो। हम सभी ग्रामवासी यही चाहते है। की माईन्स यहा नही लगे। ताकि ग्रामवासी मवेशी सारे स्वस्थ रह सके। क्योंकि हमारे पास में फलेट गांव है आज सारे बिमार है। और बिमारी का कारण ही यही है। क्योकि ब्लास्टिंग करते है उसके अन्दर जो गैस होती है। वो इधर उधर पानी में जाके वो फिर पानी पीने में आता है तो उससे बिमारिया फैलती है हम चाहते है आगे से कोई भी माईन्स अलोट नही हो ताकि गांव में कोई भी प्रदूषण नही हो। ध्वनि प्रदूषण भी नही हो। और बिमारी न हो।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री जोधसिंह ग्राम– सेजलाई :–

जैसा कि मैने पूर्व में बताया कि मेरी जमीन है मेरी वहा जसपुरा में तो अब मुझे समझ में नही आ रहा है या तो आप मतलब आगे से फैक्ट्री वालो को पाबंद किया जाए। कि मिट्टी है उसको कुछ करे। या दूषित पानी हमारे खेतो में नही आए। या फिर हम वो जमीन बेच दे। क्योकि अभी वर्तमान समय में वो जमीन हमारे लिए कुछ भी काम नही आ रही है क्योंकि वहा मिट्टी उड रही है हमारे खेतो में आ रही है घास भी उग रही है तो गाय भैस कुछ भी खा नही पा रहे है। वहा पानी जाता है तो हमारे खेतो के उपर परत जम गई है। तो अब कुछ भी ना तो मक्की हो रही है ना गेहू हो रहे है ना उसमें कुछ नही हो रहा है। हम अब समझ में नही आ रहा है। या तो हमारी जमीन हम बेच दे। वापस किसी और को या फिर फैक्ट्री वालो को पाबंद किया जाए। की भाई ऐसा नही किया जाए। तो यह सर थोडा सा है मतलब यू सर।

श्री सुरेन्द्र सिंह सांरगदेवोत ग्राम–शिशवी :–

सर यह ब्लास्टिंग होता है तो आपको पता है आप एनवायरमेन्ट डिपार्टमेन्ट से हो तो आपको पता है। कि ब्लास्टिंग से जितनी भी वो गैस निकलती है। अन्दर से डस्ट निकलती है उससे एक सिलकॉसिस नाम की एक बिमारी होती है। तो उससे इतनी खतरनाक सिलकॉसिस नाम की बिमारी हैं। उससे कितना नुकसान होता है। जो ब्लास्टिंग की इतना धमाका होता है। धमाका आसपास जितनी भी पब्लिक जो भी मवेशी जो भी रहा रहे है उसको कितना नुकसान है और एक अपने जो दिल से जो नसे जा रही है।उस दिल को अपन छेद कर देगे। उस छेद से जो ब्लास्टिंग का जो गैस होता है जो जहर होता है। वो जहर आगे कुए नदी नाले सब में जा रहा है वो तो उससे कितना नुकसान होता है। भयंकर से भयंकर बिमारी उत्पन्न होती है। जो भयंकर बिमारी का नाम है कैंसर ऐसी ऐसी बिमारी पैदा हो गई। और होगी आगे भविष्य में आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक बिमारी होगी ये। और पूरा का पूरा गांव जर जाएगा।

श्री चेनसिंह ग्राम–सेजलाई :–

मेरा आपसे यही अनुरोध है हुक्म की आप इन माईन्सों को जल्दी से जल्दी बंद करवाने का पूरा प्रयास करें। हमें इनसे बहुत ही नुकसान हो रहा है पूरे गांव को नुकसान हो रहा है। मवेशिया वहा पर चर नही पाती है। खडी नही हो पाती है। वहा से खोलते ही भाग जाते है। इसलिए यही जरूरी है कि हुक्म इस कार्यवाही को आप सम्पूर्ण करें।

श्री कैलाशचन्द्र जैन ग्राम–शिशवी :–

मेरा आपसे निवेदन है कि अभी माईन्सों के लिए कोई लीज नही दी जावें। और पंचायत से कोई एनओसी नही दी जावे। यदि पंचायत चाहती हम एनओसी देवे मै उनसे पूर्व से पुछना चाहता हूँ। उनका ग्राम सभा से प्रस्तावित रजिस्टर हो तो लेकर आवे। आपने किस ग्राम सभा से एनओसी दी है। आप रजिस्टर लेकर आओ हमने ग्राम सभा से लेकर के एनओसी दी है इनको मेरा यह निवेदन है जैसे

उपखण्ड अधिकारी
बल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

ये सभी रखी है बहुत अच्छी है। और अच्छा गांव वालो के लिए अच्छा है और अच्छा प्रोसेस है। मेरा यही निवेदन है कि अब नई कोई लीज नही दी जावे। माईनिंग डिपार्टमेन्ट वाले कहते है कि हमारे को अधिकार है, अधिकार क्या पंचायत एनओसी नही देवे। उनको क्या अधिकार है। दे ही नही सकते वो पंचायत दिए बिना एनओसी नही देते तो नही जानता मैने एनओसी नही दी। मैने रोका नही माईन्स को स्टे लाकर के नही रूकी है चला गया दो दिन में ही वहा से। नही होता है सब कानून है नियम बने हुए है ऐसी बात नही है कोई बगैर नियम से नही चलता है । मेरा यही निवेदन है कि नही कोई एनओसी पंचायत नही देवे। यदि पंचायत ने ही तो पंचायत के प्रति सरपंच के प्रति कानूनात्मक कार्यवाही की जाएगी। और अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाएगा। पंचायत पुछती नही है और अपनी मर्जी से करती है तो क्यों पंचायत को किसने चुना? सरपंच को किसने चुना? गांव ने चुना है। पंचायत ने चुनी है। और पंचायत में ही वर्षो से गला घोट रहे हो। और नई माईन्सो का रिवीजन नही होगा और न एनओसी मिलेगी उनको। एनओसी दोगे तो हम उनका विरोध करेगे।

श्री चुनीलाल लौहार ग्राम–शिशवी :–

साहब इससे कितना फायदा होता होगा गर्वमेन्ट को इसका कोई हिसाब किताब गर्वमेन्ट जानती होगी हमे तो पता नही है। जिसमें हमारे जोधसिंह जी भाईसाहब कह रहे थे कि वहा मिट्टी उड रही है। उनको पाबंद करो पाबंद करने से क्या होगा वो फैक्ट्री बंद होगी तभी आपका सुलटारा होगा। उस जमीन पर आप कुछ कर सकोगे। और हमारे गांव की कि यहा खेती बाडी वाला जैसे मैने आपको पहले बताया और हम सब कृषि पर ही निर्भर है। और मवेशी रखते है। हमारा जल स्तर गांव का इतना नीचे जा चुका है उसके लिए हम न तो खेती कर पाएगे। और इनकी कोई सीमा नही है एक सीमा होनी चाहिए कि भाई इतना गहरे तक जाएगे। इतना गहरा जाना चाहते है जाते रहेगे। और हमारा वाटर लेवल बिल्कुल नीचे जा रहा है। इसके लिए हम सब गांव वालो की आपसे यही अनुरोध है कोई लीज नही दी जाए और यह जो गांव वालो का कोई फायदा नही हो रहा है इससे नुकसान ही नुकसान है और ना किसी को रोजगार मिला है ना मिलेगा। सब बाहर के लोग है और गर्वमेन्ट को कोई फायदा हो रहा हो बाकी गर्वमेन्ट बहुत सारी स्कीमे चलाती है। कोई इनको अनाज दे देते है कोई ये कर देते है। और एक तरफ से इधर से बिचारे खेती करने वाले है। उनको नीचे से नीचे गिराते जा रहे है। पानी नही होगा तो खेती कहा से करेगे सीधी सी बात है तो आप न्यूज वाले कार्यक्रम है गर्वमेन्ट ऑनलाईन कर रही है। वहा हमको पता ही नही है। पंचायत को ही पता नही है। तो यह चीजे सबकी जानकारी में होनी चाहिए। इसमें हम गांव वालो की कोई सहमति नही है। और आप यह जो लीज है वो बंद कर दी जाए। इसको लीज नही दी जाए धन्यवाद।

श्रीमती केसी प्रजापत ग्राम–शिशवी :–

यह बाते हो रही है वो सही है हमारे यहा अब माईन्स नही होनी देनी चाहिए। अब आगे भविष्य के लिए और अभी हमारे जो गाय चरने जाती थी पहले तो जंगल थे। तो अभी मेरे घर के सामने शाम

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Gopal Singh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

को 10 गाय आकर बैठती है। अगर जंगल होते ना तो सड़क पे तो नही बैठती आज रात की 12 बजे गाडी आती है 01 बजे आती है। 02 बजे आती है। हम नींद में सोते है वो गाडी वाला हॉर्न बजाता है तो हमारी नींद खुल जाती है एक दम। कि बाहर कौन आया है। अब गाय बैठी है तो उसको तो हॉर्न बजाना पडेगा। हर रोज 10–12 गाय मेरे घर के सामने बैठती है जंगल होते तो नही बैठती वो। जैसे जैसे जंगल घटते है और थोडे है वो भी घट जाएगे। सारी माईन्से पडी खत्म हो जाएगी। हमे भी घर छोड कर जाना पडेगा तो ऐसा मत करिए आप। आपसे यही अनुरोध है।

श्रीमती निर्मला लोहार ग्राम– शिशवी :–

मैं यह कहना चाहती हूँ कि माईनिंग के लगने से हमे बहुत नुकसान हो रहा है। और गाय भैसो को भी नुकसान हो रहा है। क्योकि घास चाहिए उनको तो नही मिलती है माईन्सों से गलती हो रही है। धूल उडती है और घास में जाती है। मवेशियों को बहुत नुकसान है। इंसान तो बोलते ही कह देते है। कि यहा गंदगी हो रही है। मवेशी कहा जाता है। यहा जाता है वहा जाता है। मवेशी के हिस्से चारागाह तो चरने के लिए मवेशियो के ही है ना। तो इंसान को हक मिलता है हमे यह जगह चाहिए। जानवरो के चरने के लिए जगह नही है क्या क्योकि इंसान तो पैसे के लालच उनके पेट के भरने के लिए घास कहा से लाते है। घास के लिए घास भी चाहिए। इंसान को तो इतना पैसा चाहिए। क्योकि लाखो करोडो हो जाते है फिर भी उनका पेट नही भरता है। लेकिन मवेशी आज खाता है वो आज के लिए ही सोचता है। इसलिए जानवर की जगह पर कोई और माईन्स नही लगाए।

श्रीमती केसी प्रजापत ग्राम–शिशवी :–

अभी इन सर ने कम्प्यूटर में पडा था और सारी बाते बताई थी। कि 365 गांव के लोग रखे जाएगे जहा पे भी माईन्स खुलती है रोजगार के लिए और पचास हजार रूपय सालाना या इक्कावन लाख ऐसा कुछ इन्होने बताया था मेरे को याद नही रहता है। तो इतनी माईन्से बडी है। पहले भी इतना पैसा आया होगा। और कुछ खर्चा है। मतलब गांव के लोग है तो वो हुआ क्या पहले। कहा गया वो पैसा।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

मै इनके पर्यावरणीय सलाहकार परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार से आग्रह करूंगा आप इसका उत्तर देगे।

श्रीमती केसी प्रजापत ग्राम–शिशवी :–

इन्होने जो जितने पॉईंट बताए है उनमे से एक भी पोईंट भी मेरा गांव में मिल रहा है क्या। आपने पढा है मैने सुना है मैने उसपे गौर किया है ध्यान से पर उसमें से एक भी चीज यहा पर नही बनी है। खाली एक जरूर मिला है कि 100 पेड लगाए। क्योकि एक पौधा मां के नाम था। इस साल से इस मतलब सात तारीख का था। स्टार्ट हुआ तो उसमें सौ से दौ सौ पौधे लगाए। तो उनमे से यह

उपखण्ड अधिकारी
बल्लभनगर

GopalSingh
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

कह सकते है। सौ पौधे मैने लगवाए। अब पंचायत वाले लगाए या इन्होने लगाए। यह हमे नही पता पर वो काम हुआ है। और दुसरा इसमें से क्या काम हुआ है। वो होना चाहिए। ओर नही हुआ तो कोई बात नही। पर इस कम्प्यूटर में जो भी सिस्टम आ रहे है वो हमको नही चाहिए और ना लीज चाहिए। और मै अपने ग्रामवासियों से यही कहना चाहूगी। कि हर साल अपने को पौधे लगाने है। और एक–एक परिवार में दस–दस पेड सब लगाए तो अपना वैसे भी पेड हो जाएगे अपना जंगल सुरक्षित होगा अपन सुरक्षित होगे। अपने बच्चे परिवार हम वैसे ही सुरक्षित हो सकते है। इतना काम अपने परिवार के लिए हम अपना खुद कर सकते है। क्या मतलब माईन्स पेड लगाए। क्या पंचायत वाले पेड लगाए क्या बाहर वाले पेड लगाए। अपने घर के लिए अपन खुद कर सकते।

श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम–शिशवी :–

बस पूरे गांव ने कह दिया कि सौ बात की एक बात है। कि हमारा गांव पूरा कृषि और पशुपालन पर निर्भर है और आप चाहते हो माईन्स वाले बाहर से आएगे खड्डा खोद के चले जाएगे। दो चार साल में वो तो उनका पैसा कमा के चले जाएगे। आप ही सोचो हमारा गांव कहाँ जाएगा हमारे गांव के लोग कहा जाएगे आने वाली पीढी कहाँ जाएगी। वो पैसा कमा के चला जाएगे ना। खड्डे खोद के।

श्री नरेन्द्र सिंह ग्राम–सेजलाई :–

सर जो मकानो की हालत खराब है ना सर अगर आप परमिशन दे तो मै आपको विडियो क्लीप बताउ। केसी हालत है हम वहा से घर से ही विडियो करवा के लेकर आए है। और यह फेक नही है आप चाहे तो इसी लोकेशन पे जो हम मकान बताएगे। वो आप जाकर देख लीजिए।

श्री प्रकाशचन्द्र कुमार ग्राम–शिशवी:–

यह माईन्सो की वजह से जो विस्फोट होते है उससे मेरा मकान चारो तरफ से क्रेक हो गया है। अब उनका अगर यह पैसे देते हो तो मै बोलू क्या फायदा हो रहा गांव को कुछ फायदा ही नही हो रहा है चलो मेने 2021 में अभी मकान बनाया है। वो मकान चारो तरफ मेरा क्रेक हो गया। इन माईन्सो की वजह से झटके लगते है रात दिन। फायदा तो कुछ हो ही नही रहा हमारे को। और न गांव को फायदा है। आप तो इन लीज को बन्द करवाए बिल्कुल।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

ठीक है आप सभी की बात सुनी जा रही है और सक्षम स्तर पर प्रेषित की जाएगी। यदि कोई अन्य व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। आप मे से जो यहा कह नही पा रहा है। वो लिखित मे भी दे सकता है। आप लिखित में भी दे सकते है।

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री भगवत सिंह सारंगदेओत निवासी–सेजलाई :–

पूरा मकान क्रेक हो गया और पानी नही है। कुए में पानी नही है। और टेंकर से पानी होज में डलाओ तो होज फटा हुआ है। क्या करे। मै विकलांग हु पहले से। अब इसका क्या किया जाए। इन माईन्सों को बंद करो। बस यही कहना चाहता हूँ।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

ठीक है। अन्य कोई व्यक्ति,अब मै श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस परियोजना के बारे में अपने विचार उपस्थित सभी ग्रामवासियों जनसमुह से साझा करेगे।

श्री सुरेन्द्र पाटीदार, एसडीएम, वल्लभनगर, उदयपुर :–

आज की इस जनसुनवाई में ग्रामीणों में पहले से जो माईन्से चल रही है। उसके ईम्पेक्ट के बारे में और जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में नोट कराया है और वर्तमान में जो दो ग्यारह बजे और एक बजे की जनसुनवाई थी दो। उसके बारे में जो सुझाव दिए है आपत्तिया दर्ज कराई है। उसके समस्या के समाधान को उच्च स्तर पर प्रेषित करके उसके पश्चात् ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। यह मेरी एक सलाह है। तो इनकी समस्याओं को सुनकर उसका क्या रेमेडी हो सकती है। उसके समाधान के पश्चात् ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। थैक्यू।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राप्रनिम, उदयपुर :–

परियोजना हेतु आयोजित पर्यावरणीय जनसुनवाई में उपस्थित हुए और अपने हमे अपना सहयोग प्रदान किया इसी के साथ आयोजित इस जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।

श्री गोपाल सिंह गुर्जर, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद सहायक पर्यावरण अभियन्ता महोदय ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर, उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(सुरेन्द्र पाटीदार)
उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर
जिला–उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

Gopal Singh

(गोपाल सिंह गुर्जर)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

सहायक पर्यावरण अभियन्ता
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

मैसर्स महोदव माइनिंग एन्टरप्राइजेज, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार (एम.एल.न. 52/2023, क्षैत्रफल– 3.8794 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 2923147 **TPA (ROM)** एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 375397 **TPA** निकट ग्राम– सेजलाई, तहसील–कुराबड़ (गिर्वा), जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 08.11.2024 को दोपहरः 01.00 **PM** बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम–शिशवी, तहसील–कुराबड़ (गिर्वा), जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Surendra B. Patidar	SDM- Vallabh Nagar	[signature]
2	Gopal Singh Gunjar	AEE, RSPCB	Gopal Singh
3			
4			
5	Indra Singh Shaktawat	(वार्ड पंच)	[signature]
6	दलपत सिंह	उपसरपंच	[signature]
7	सुरेन्द्र सिंह सारंगदेवोत	(सेजलाई, शिशवी)	
8	चैन सिंह सारंगदेवोत		[signature]
9	बहादुर सिंह		बहादुर सिंह
10	मोहन सिंह	सेजलाई	मोहन सिंह
11	रघुवीर सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई	रघुवीर सिंह
12	देवी लाल लोहार	शिशवी	देवीलाल
13	कुबेर सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई	Kuber Singh
14	केसो प्रजापत	शिसवी	केसो प्रजापत
15	गुड्डी मेघवाल	शिशवी	गुड्डी
16	नैनिच	शिशवी	नैनिच
17	निर्मला	शिशवी	निर्मला
18	भूपेन्द्र सिंह	सेजलाई	भूपेन्द्र सिंह
19	छोगालाल	शिशवी	छोगालाल

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	कैलाशचन्द पटेल	शिशवी (डांगीयो की भागल	[signature]
	नरेन्द्र सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई (शिशवी)	[signature]
	प्रवीण गोरणा	शिशवी	प्रवीण
	सतपाल सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई (शिशवी)	[signature]
	भैरूसिंह	पदमपुरा	[signature]
	भगवतसिंह	सेजलाई	भगवतसिंह
	नरेन्द्र सिंह	शिशवी	Narende
	रतन लाल पटेल	डांगीयों की भागल (शिशवी	रतनलाल
	ओंकार डांगी	(डांगीयों की भागल) शिशवी	[signature]
	मोहन	शिशवी	मोहन
	किशोर	शिशवी	किशोर
	चेतन सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई (शिशवी)	चेतनसिंह
	ऋषिराज सिंह सारंगदेवोत	सेजलाई	Rishi
	भरत	शिशवी	
	राजेन्द्र सिंह राठौड़	सेजलाई	Rajendra
	कैलाशचन्द्र मीणा	केन्द्र (शिशवी)	[signature]

सेवामे

दिनांक
8/11/2024

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
जिला उदयपुर (राज.)

विषय => मांइन्स के फैलान को रोकने हेतु। (शिशवी)

महोदय

सविनय नम्र निवेदन है कि हमारे गॉव शिशवी मे खनन मार्ईन की वजह से गॉव मे समस्या आ रही है गांव के 3 किलोमी के बाहर खनन होनी चाहिए किन्तु पंचायत ने गांव के 1 किलोमीटर के अंदर NOC जारी कर रखी है जिसके कारण गांव मे रहने वाले लोगो को कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पड रहा है। जो इस प्रकार है→

1. पीने के पानी की समस्या
2. माईन मे पावरफुल ब्लास्टिंग की वजह से घरो की छते फट रही है।
3. घरो की दिवारो मे दरारे।
4. गांव मे चारागाह भूमि नही बची है और जो बची है वहॉ और कब्जे किये जा रहे है।

आवेदन कर्ता
समस्त ग्रामवासी शिशवी

नरेन्द्र
[illegible]
Kuber Singh
[illegible]
पवनसिंह
मुकेश
भूपेन्द्र सिंह
नन्दलाल
रघुवीर सिंह
मोतीसिंह

[illegible] [illegible] भोलाराम डालुजी

जितेश डाली कुंवर [illegible]

भरत [illegible]

[illegible] निर्मला गंगाराम ईश्वर

भैरुलाल [illegible] ओमजी [illegible]

प्रतापसिंह सुशीला

खुशवन्त

राजेन्द्रसिंह गुड्डी मेघवाल दिलीप [illegible]

प्रकाश प्रवीण [illegible] [illegible]

[illegible] गज्जू [illegible]

चेतनप्रजापत

नन्दसिंह रमेश जैन [illegible] [illegible]

[illegible]

प्रकाश चन्द [illegible] [illegible] प्रकाश [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

प्रकाश

मंगल प्रेम मेघवाल

[illegible] लीला

[illegible] राजू [illegible] [illegible]

मोहन डाली बाई

मांगीलाल

दलपतसिंह

सह निवेदन श्रीमान अध्यक्ष = उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
जिला, उदयपुर

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर ।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 07.11.2024 (गुरूवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है । साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331964

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ 470 यूसीसीआई भवन के पीस, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम.एल.न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम. एल. न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 52 / 2023, क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 375397 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर ।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर । 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम- शिशवी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है ।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षैत्रीय अधिकारी

DNU 331966

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ 470 यूसीसीआई भवन के पीस, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स जी.एल. मिनरल्स, एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जी.एल. मिनरल्स., एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 50 / 2023, क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 253562 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए- 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर ।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर । 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम - शिशवी तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है ।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331965

वनवासी कल्याण परिषद के जिला मंत्री मगन डामोर रहे। मुख्य वक्ता दुर्गा भगोरा ने रानी दुर्गावती का जीवन परिचय दिया। इस अवसर पर राणा पूंजा भील के बारे में प्रदेश संयोजक लालूराम कटारा ने बताया कि पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को पढ़ने का आह्वान किया। संचालन जिला मंत्री मगन डामोर ने किया। शारदा देवी, सवीता देवी, ललिता देवी, सुनीता देवी, आशा देवी, सुशीला देवी, तुलसी देवी, रामलाल आदि मौजूद थे।

विस्फोटक फैंक युवती को जलाने के अभियुक्त को उम्रकैद

उदयपुर। अजा/अजजा अनिप्र अदालत की पीठासीन अधिकारी ज्योति के सोनी ने घर पर सो रही युवती को जान से मारने की मंशा से विस्फोटक फैंककर उसे जलाने के मामले के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार सोखवड़ा फला नया गांव निवासी सोनिया ने कोटड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि सात अक्टूबर को वह गरबा खेलकर अपने घर आई और खाट पर सो रही थी कि अचानक तेज धमाका होने से लहूलुहान हो गई। आरोपी सतीश पुत्र मणा निवासी नयावास ने उस पर विस्फोटक फैंका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया 9 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त सतीश को विभिन्न आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

प्रधानमंत्री ज

सराड़ा। चावंड मे प्रधानमंत्री ज

नवज्योति/सराड़ा। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और उदयपुर सांसद डॉ.मन्नालाल रावत ने मंगलवार को चावंड में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सरकारी दवाई की दुकान का उद्घाटन किया। उद्घाटन में सन्त सानिध्य हितेस्वरानंद सरस्वती (कटावला मठ) का रहा। जनजाति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प गरीब तबके लोगो को सहज

बाबा महाकाल मंदिर कारछा में हवन

नवज्योति/खेरवाड़ा। बाबा महाकाल धाम कारछा कला पर नवरात्रि के तहत हवन किया गया। हवन पूजन समारोह आचार्य हितेश जोशी और अजय भट्ट के सानिध्य में किया गया, जिसमें भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद लिया। मुख्य यजमान गोविंद सिंह भीमपुर, मोहन औदिचय, मयूर पटेल रहे।

सेल्फ एस्ट कॉन्फिडें

नवज्योति/खेरवाड़ा। पीईईओ लराठी में किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

उद्घाटन उप प्रधानाचार्य बाबूलाल परमार ने किया। बताया कि बदलते परिवेश में बालकों में जीवन कौशल, आत्मविश्वास में दृढ़ता व भयग्रस्त वातावरण उन्हें अवसाद की ओर ले जा रहा है। दक्ष प्रशिक्षक लक्ष्मीनारायण मेघवाल ने बताया कि वर्तमान में अभिभावक की बच्चों

एक पैंथर ने सोमवार रात मंदिर से घर लौट रहे बाइक सवार दंपती पर हमला कर दिया। पैंथर के हमले से दोनों बाइक से गिर गए लेकिन सड़क पर अन्य वाहनों की आवाज

भल्ली का गुड़ा मार्ग पर पहाड़ी ... में छिपकर बैठे पैंथर ने अचानक बाइक पर झपट्टा मार दिया। इससे बाइक बेकाबू हो गई तथा दोनों जमीन पर जा गिरें। दोनों के शोर मचाने से कुछ लोग पहुंच गए।

आई और बाइक के ... गया। ग्रामीणों ने यहां पिंजरा लगाने की मांग की है। लोगों ने बताया कि पहले भी यहां

... ऊड़ों का गुड़ा और केलवो का ... 0 सितंबर और 1 अक्टूबर को ... था, लेकिन अभी तक उन जगहों ... थर का मूवमेंट नहीं दिखा। उदयपुर ... तहसील में लोगों पर हमला करने

... हो गई। तब लोगों को वहां से दूर ... गया। इस क्षेत्र में भी पिछले दिनों पैंथ ... हमलों से लोग घबराएं हुए है। जर ... शरीर पर चोट के निशान थे, विशेषज्ञ ... मानना है कि उसे पत्थर मारे गए है।

रामलीला में सीता हरण प्रसंग का मंचन

झाड़ोल। रावला परिसर झाड़ोल में रामलीला के छठे दिन में सीता हरण का मंचन किया गया। वहीं प्रभु रामचंद्र जी की दुखी दशा देख सभी दर्शक व्याकुल हो गए। इतना सुंद्रर प्रसंग काशी के कलाकारों द्वारा दशार्या गया कि संसार को सुख देने वाले भगवान राम के ऊपर भी संकट आए थे हम तो कलयुग के मानव हैं हम पर दुख आएं तो क्या। रामचरित जैसे ग्रंथ से हमें मानव जीवन कैसे जीना चाहिए यह सीख लेमी चाहिए ।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ 470 यूसीसीआई भवन के पीस, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी,
उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स मारूति माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.न. 11 / 2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) 'क्वार्टज एवं फैल्डसपार', ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसूर्स मारूति माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.न. 11/2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला-उदयपुर जिला - उदयपुर,प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 11 / 2023, क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 224046 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत,आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अभिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
   6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर ।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सुचिवालय, जयपुर।
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 07.11.2024 (गुरूवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम-माल की टुस, तहसील - वल्लभनगर, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी के ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है । साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षैत्रीय अधिकारी

DNU 331964

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ 470 यूसीसीआई भवन के पीस, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी,
उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम.एल.न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) 'क्वार्टज एवं फैल्डसपार', ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम. एल. न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 52 / 2023, क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 375397 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
   6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर ।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम- शिशवी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है ।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331966

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ 470 यूसीसीआई भवन के पीस, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी,
उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स जी.एल. मिनरल्स, एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फेल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जी.एल. मिनरल्स., एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फेल्डसपार', ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फेल्डसपार माईन (एम.एल.न. 50 / 2023, क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 253562 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए- 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
   6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर ।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम - शिशवी तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है ।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 331965

रानी दुर्गावती की जयंती समारोह

नवज्योति/खेरवाड़ा। खेरवाड़ा तहसील के राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास मे रानी दुर्गावती का 500वां जन्म जयंती वर्ष समारोह पूर्वक मनाया गया। अध्यक्षता छात्रावास अधीक्षिका ममता मीना ने की। मुख्य वक्ता दुर्गा भगोरा युवा समाजसेवी व जनजाति सुरक्षा मंच की जिला महिला प्रमुख रही। मुख्य अतिथि लालू राम कटारा प्रदेश संयोजक जनजाति सुरक्षा मंच एवं विशिष्ट अतिथि समाजसेवी हरिराम, पूर्व सरपंच प्रमिला एवं राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के जिला मंत्री मगन डामोर रहे। मुख्य वक्ता दुर्गा भगोरा ने रानी दुर्गावती का जीवन परिचय दिया। इस अवसर पर राणा पूंजा भील के बारे में प्रदेश संयोजक लालूराम कटारा ने बताया कि पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को पढ़ने का आह्वान किया। संचालन जिला मंत्री मगन डामोर ने किया। शारदा देवी, सवीता देवी, ललिता देवी, सुनीता देवी, आशा देवी, सुशीला देवी, तुलसी देवी, रामलाल आदि मौजूद थे।

घुमन्तू-अर्धघुमन्तु परिवारों को सरकार मंशा अनुरूप नहीं दिए पट्टे, ज्ञापन सौं

वल्लभनगर। सरकार की मंशा अनुरूप घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू परिवारों को पट्टे नहीं दिए जाने के विरोध में राजस्थान गाड़िया लोहार युवा विकास संस्थान के उदयपुर जिला अध्यक्ष लाला गाड़ोलिया लोहार के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार ने घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू परिवारों को बसाने की जन कल्याणकारी योजना के तहत 2 अक्टूबर को जिले में सर्वे कराकर पट्टे दिए जाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन तीन चौथाई परिवारों को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया, जबकि वे पात्र हैं। अपात्र करने के पिछे जो कारण दर्शाए गए हैं, वो उचित एवं न्याय संगत नहीं हैं। अधिकारियों ने सरकारी आदेश का गलत विवेचन कर कई पात्र लोगों को वंचित कर दिया है। घुमन्त परिवारों के लिए आबादी भूमि का विस्तार ... दिए जाने थे, लेकिन आबा... जानबूझ कर नहीं किया ... ऐसे में वंचित परिवारों ... की योजना का उचित ... इसके लिए पुनः नए ... का आवंटन कर पट्टे ... की मांग की गई। ज्ञापन ... नारायण लाल कोर ... संरक्षक लाख राम गा... प्रदेश सचिव शंकर ... लोहार, शहरी जिला ... गाड़िया लोहार, ई... उदयपुर ग्रामीण जिल... गाड़िया लोहार, सख... राजेश गाड़िया लोह... लोहार वल्लभनगर, ... लोहार संजय चौहान ... लोहार, नवानिया ... लोहार, भैरू लाल, ... मौजूद रहे।

विस्फोटक फैंक युवती को जलाने के अभियुक्त को उम्रकैद

उदयपुर। अजा/अजजा अनिप्र अदालत की पीठासीन अधिकारी ज्योति के सोनी ने घर पर सो रही युवती को जान से मारने की मंशा से विस्फोटक फैंककर उसे जलाने के मामले के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण के अनुसार सोखवड़ा फला नया गांव निवासी सोनिया ने कोटड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि सात अक्टूबर को वह गरबा खेलकर अपने घर आई और खाट पर सो रही थी कि अचानक तेज धमाका होने से लहूलुहान हो गई। आरोपी सतीश पुत्र मणा निवासी नयावास ने उस पर विस्फोटक फैंका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया 9 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त सतीश को विभिन्न आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्

सराड़ा। चावंड मे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करते एवं मंच पर उपस्थित

नवज्योति/सराड़ा। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और उदयपुर सांसद डॉ.मन्नालाल रावत ने मंगलवार को चावंड में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सरकारी दवाई की दुकान का उद्घाटन किया। उद्घाटन में सन्त सानिध्य हितेस्वरानंद सरस्वती (कटावला मठ) का रहा। जनजाति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प गरीब तबके लोगो को सहज सुलभ अवसर प्रदान करना है। इस मौके पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति प्रेमप्रकाश मंडोत, प्रबंध निदेशक एवं उप रजिस्ट्रार उदयपुर हरीश सवाशिया, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया सलूंबर मदनलाल, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सलूंबर डॉ. जेपी बुनकर, सयुक्त नर्सेज संघठन सलूंबर जिलाध्यक्ष कुलदीप मोड़, भाजपा पूर्व जिला मंत्री नरेंद्र मीणा, समाज सेवी अविनाश मीणा, भाजपा मंडल अ... चोबिसा, हजारी ... सिंह, मंडल ... पटेल, नगर सेठ ... उपसरपंच करण ... मीणा, पूर्व सरपं... मीणा, कातनवाड़ ... मीणा, वनवासी व... मदन गर्ग मौजूद ... सेवा सहकारी ... में हुआ।

बाबा महाकाल मंदिर कारछा में हवन

नवज्योति/खेरवाड़ा। बाबा महाकाल धाम कारछा कला पर नवरात्रि के तहत हवन किया गया। हवन पूजन समारोह आचार्य हितेश जोशी और अजय भट्ट के सानिध्य में किया गया, जिसमें भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद लिया। मुख्य यजमान गोविंद सिंह भीमपुर, मोहन औदिचय, मयूर पटेल रहे।

सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रशिक्षण

नवज्योति/खेरवाड़ा। पीईईओ लराठी में किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

उद्घाटन उप प्रधानाचार्य बाबूलाल परमार ने किया। बताया कि बदलते परिवेश में बालकों में जीवन कौशल, आत्मविश्वास में दृढ़ता व भयग्रस्त वातावरण उन्हें अवसाद की ओर ले जा रहा है। दक्ष प्रशिक्षक लक्ष्मीनारायण मेघवाल ने बताया कि वर्तमान में अभिभावक की बच्चों के प्रति अत्यधिक अपेक्षाएं व वर्तमान की दिखावटी काल्पनिक दुनिया से बाहर लाकर स्वाभाविक जीवन जीने के कौशलों को विकसित करना बेहद जरूरी है।

इस प्रशिक्षण मे स्थानीय पीईईओ के कक्षा 6 से 8 में अध्ययन कराने वाले शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आनलाइन मॉड्युल पर स्थित कॉन्सैप्ट पर चर्चा करते हुए बालकों के सर्वांगीण विकास पर शिक्षकों के दायित्वों पर मंथन किया।

स्कूल में स... का भू...

गुड़ली। हिन्दुस्तानं... के सीएसआर विभ... खुर्द पंचायत के रा... ढाणी के राउप्रावि मे... का मंगलवार को ... अवसर पर सीएस... चीता, राधिका खेरि... चेतन प्रकाश ... जगदीश गमेती, ... ने ग्रामीणों की ... किया। सिविल ... सीएसआर कॉर्डि... सहित कई ग्राम...

कोर समुह... क...

नवानिया। वल्ल... कार्यक्रम बालिका ... के तहत मंगलवार ... दिवसीय आमुखी... कीकावास, करण... पंचायतो मे हुआ ... शिक्षा, सुरक्षा, कौ... की गई। ब्लॉक ... फील्ड कॉर्डिनेटर ... लाल, प्रताप लाल

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ 470 यूसीसीआई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स जी.एल. मिनरल्स, एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जी.एल. मिनरल्स, एम.एल.न. 50 / 2023 (क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार', ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 50 / 2023, क्षेत्रफल 2.9377 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 253562 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए- 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
   6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर ।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम - शिशवी तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड़-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है ।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ 470 यूसीसीआई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम.एल.न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स महादेव माईनिंग एन्टरप्राइजेज, एम. एल. न. 52 / 2023 (क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम - सेजलाई, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 52 / 2023, क्षेत्रफल 3.8794 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 375397 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
   6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर ।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.11.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, ग्राम पंचायत शिशवी, ग्राम- शिशवी, तहसील - कुराबड़ (गिर्वा), जिला - उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है ।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

बच्चों ने जानी ईटीएफ एवं टैपिंग तकनीक

उदयपुर, (निसं)। टैरो कार्ड रीडर डॉ. अदिती राठौड़ ने आज ऐश्वर्या कॉलेज में आज बच्चों के लिये ईटीएफ एवं टैपिंग तकनीक पर कार्यशाला का आयोजन किया। श्रीमती अदिति राठौड़ ने बच्चों को टैपिंग तकनीक के तहत विभिन्न टैपिंग पॉइंट्स की जानकारी दी और टैपिंग करवाई। ईटीएफ और टैपिंग तकनीक के माध्यम से हमारी आंतरिक ऊर्जा जाग्रत होती है तथा विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों का इलाज संभव है। इस तकनीक का अविष्कार गैरी क्रेग ने 1991 में किया था। यह तकनीक पारम्परिक एंक्यूप्रेशर तकनीक पर आधारित है। कार्यक्रम का संचालन एमबीए की छात्रा इनसिया अब्बास ने किया। प्राचार्य डॉ ऋतु पालीवाल ने कार्यशाला को सभी के लिए अत्यंत प्रभावशाली होना बताया।

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ 470 यूसीसीआई भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स मारूति माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.न. 11 / 2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम-माल की टूस, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मारूति माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल.न. 11/2023 (क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) "क्वार्टज एवं फैल्डसपार", ग्राम-माल की टूस, तहसील - वल्लभनगर, जिला-उदयपुर जिला - उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्डसपार माईन (एम.एल.न. 11 / 2023, क्षेत्रफल 1.5099 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 224046 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है ।
3. उक्त परियोजना से सर्वान्चित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
   1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए - 216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर ।
   6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर ।
   7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ - 470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.) ।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 07.11.2024 (गुरूवार) को प्रातः 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-माल की टूस, तहसील - वल्लभनगर, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड- 19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है । साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्षेत्रीय अधिकारी

स्वाईन से बचाव एवं उपचार के लिए तुरन्त असरकारक

जागृति फिवरिन काढा

स्वाईनफ्लू, डेंगू एवं चिकनगुनिया और उससे उत्पन्न सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द इत्यादी में लाभप्रद, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

JAGRITI FEVRIN KADA

Jyoti Stores

(A Leading Merchant in Ayarvedic medicines)

ज्योति स्टोर्स

Out side Delhi Gate UDAIPUR-313001 (Raj)

अनुभवी चिकित्सा परामर्श भी उपलब्ध, फोन नं. : 2420016 (S)

Email : jagritiherbs@yahoo.co.in. Website : www. jagritiayurved.com

पीछे, उदयपुर 313002 से प्रकाशित नोवा प्रिंटर्स, 5 बागर गली, हाथीपोल से मुद्रित, आरएनआई नम्बर : 23554/72, डाक पंजीयन : RJ/UD/29-
hotmail.com, jai.rajasthan72gmail.com